

कलम हुई वाले इफतेदा

11.03.2022


FORM फॉर्म 3

(नियम 20)

14

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुयम की तामील में
जारी हुए

मज अदालत उम रावड अफिकारी इंगला मुकाम इंगला
इमरात कौरा बनाम हजारी
किस्म मुकदमा दाद पत्र धारा 88, 188 नं. 228 सन् 2015

| तारीख हुयम | हुयम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुयम की तामील में जारी हुए |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.22 | <p>पत्रावली पैग हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी वकील उपस्थित आए। वकील वादी ने बहस के दौरान कथन किया गया कि वादीगण के पिता स्व. श्री कालू पिता भैया अलीर छिवसी मोखल के द्वारा प्रतिवादी श्री हजारी सुखवन्ता पुत्रीगण सुख छिवसी से रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 18-7-1972 के द्वारा आराजी नम्बर 2496/1375 रकबा 0.0 380 है अग्रे को 3500-लीग हजार पाप से अपने में कम की गयी है कम फीस से कछना वादीगण का एवं वादीगण के पिता कालू का आज दिन तक पला था रहा है। रजस्त्र रेकार्ड में विक्रम दस्तावेज के अनुसार वादीगण एवं वादीगणों का नाम अंकक वही हैने से वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी की घोषणा की गयी का आदेश परभाव। वकील प्रतिवादी ने भी बहस में दाद पत्र में वकील दायरे को दोहराते है नकस गमावली आम मोखल सम्वत 2070 से 73 तक में वकील आराजी नम्बर 2496/1375 रकबा 0.0 380 है अग्रे को वादीगण के संयुक्त खातेदारी की घोषणा की गयी जाये कले की सहमति प्रकट की है। क्या सहमति का जवाब पूर्ण में पत्रावली में पत्र भ्रजा सकट किया गया है। पत्रावलीवले आदेश दिनांक 11.3.2022 को पत्रा वें।</p> | |
| 11-3-22 | <p>पत्रावली पैग हुई। वकील उमरा पक्ष उपस्थित निगी, डिकी प्रकट से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैराल सुमार होकर नम्बर से कम वे।</p> |  |